MEDIA BEAT

An occasional column on significant developments in the media world

By Ashok Mansukhani

मीडियाबीट

मीडिया की दुनिया में महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक सामयिक स्तंभ

लेखकः अशोक मनसुखानी

2020 has been a year of continuing lockdowns and significant challenges for the Indian media industry. When the year started in January, India was unaware of the impending effect of the Covid virus which by late March 2020, was to tie down the entire country into a paralysing lockdown leaving millions of people to be confined to their homes and watch television or surf the net.

The Indian electronic media distribution industry rose to the occasion and ensured continuous and uninterrupted transmission to the entire nation. This contributed significantly to the success of the lockdown but has not received due recognition from the viewers nor the Government of their extraordinary efforts to make available television channels and Internet bandwidth 24/7.

India is estimated to have over 220 million households. As per the KPMG report of September 2020, the TV universe is estimated at 163 million. This consists of 130 million TV households having access to cable and satellite channels, and the balance 33 million are with Doordarshan Dish. This leaves a significant 57 million homes which are still to get the benefits of either cable television or DTH to be it free or pay. On the other hand, OTT services (direct to consumer) exploded in the lockdown with latest figures by Disney Hotstar revealing that a staggering 26 million households are paying ₹ 399 a year and accessing very high-quality sports/news and international content. Netflix and Amazon Prime to have improved their subscriber base substantially.

2020 भारतीय मीडिया उद्योग के लिए निरंतर लॉकडाउन और महत्वपूर्ण चुनौतियों का वर्ष रहा है। जनवरी में जब वर्ष की शुरूआत हुई, भारत कोविद वायरस के आसन्न प्रभाव से अनभिज्ञ था, जो कि मार्च **2020** के अंत तक पूरे देश को पंगु बनाने वाले लॉकडाउन के रूप में बदल गया, जिससे लाखों लोग घरों तक सीमित रह गये और टेलीविजन देखने लगे या नेट पर सर्फिंग करने लगे।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उद्योग इस अवसर पर उठ खड़ा हुआ और इसने पूरे देश में निरंतर व निर्बाध प्रसारण को सुनिश्चित किया। इसने लॉकडाउन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन दर्शकों से उन्हें न तो उचित पहचान मिली और न ही टेलीविजन चैनलों और इंटरनेट बैंडविड्थ को 24/7 उपलब्ध कराने के उनके असाधारण प्रयासों की सरकार ने सराहना की।

भारत में **220** मिलियन घरों का अनुमान है। सितंबर **2020** की केपीएमजी रिपोर्ट के मुताबिक टीवी की दुनिया लगभग **163** मिलियन की है। इसमें से **130** मिलियन टीवी घरों में केबल और सैटेलाइट चैनलों की पहुंच है और शेष **33** मिलियन दूरदर्शन डिश के साथ हैं जो कि उल्लेखनीय **57** मिलियन घरों को छोड़ देता है जो कि इसे फ्री या पे के लिए केबल टेलीविजन या डीटीएच में से किसी की भी सुविधा से वंचित हैं। दूसरी ओर ओटीटी सेवाओं (उपभोक्ता को प्रत्यक्ष) में डिज्नी हॉटस्टार के नवीनतम आंकड़ों के साथ लॉकडाउन में विस्फोट हुआ, जिसमें खुलासा हुआ कि **26** मिलियन घर प्रति वर्ष **399** रुपये का भुगतान कर रहे हैं और बेहद उच्च गुणवत्ता वाले खेल/समाचार और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों तक पहुंच बना रहे हैं। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम ने भी अपने सब्सक्राइबर आधार में काफी सुधार किया है।

Ministry of Information and Broadcasting (MIB) is the policy and content regulator for this industry. Curiously, Cable Operators have been well regulated from 1994, but broadcasters have no permanent regulator yet. The Government-appointed the Telecom Regulatory Authority of India as a 'temporary' Broadcast and Cable regulator. This has continued for the 16 years. TRAI has striven to bring about a level playing field between different service providers and viewers.

In the lockdown, the activities of TRAI and the Ministry of Information and Broadcasting were low key. Yet, some critical steps were taken, which will have a long-term impact on the future of the Indian electronic media TV industry.

In early January 2020, TRAI issued an amendment to the 2017 Digital Cable Interconnection Regulations to ostensibly curb what it called "excessive carriage fees" charged by DPOs based on complaints by regional and free to air broadcasters. This Regulation is popularly known as NTO:2. It also brought down a la carte price of pay channels and increased the number of channels to be provided under the NCF formula to 200. This has led to a fresh round of litigation that is in the final stages in the Bombay high court. Either way, this litigation will reach the Supreme Court in 2021. Whenever this amendment comes into force, it will have a marginal impact on the distribution industry, and broadcasters will have to adjust to the new rates which are fixed by the to enhance the rights of the customer to select and paper channels of his choice.

TRAI
सत्यमेव जयते
Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

During the past year, TRAI has taken up a series of issues which if accepted by the Government significantly impact fortunes of the cable TV industry. In April 2020, Trai issued a recommendation on interoperability of set-top boxes. This recommends that all set-top boxes must be interoperable. TRAI admitted that the technical and commercial constraints and recommended that interoperability be brought into effect from a future date. It also requested the Government to ensure that the BIS specification of digital TV sets the amended to ensure that all future digital TV sets come with built-in tuners to enable reception of TV content through satellite and cable platforms.

The mind of the Government is not known, but given current tensions with China and the fact that more than 95% of the hundred million plus set-top boxes have

सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) इस उद्योग के लिए नीति और सामग्री नियामक है। दिलचस्प है कि केबल ऑपरेटरों को **1994** से ही अच्छी तरह से विनियमित किया गया है, लेकिन प्रसारकों के पास अभी तक कोई स्थायी नियामक नहीं है। सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को 'अस्थायी प्रसारण व केबल नियामक' के रूप में नियुक्त किया है। यह **16** साल से जारी है। ट्राई ने विभिन्न सेवा प्रदाताओं और दर्शकों के बीच एक समान खेल मैदान बनाने का प्रयास किया है।

लॉकडाउन में, ट्राई और सूचना व प्रसारण मंत्रालय की गतिविधियों में काफी कमी आयी। फिर भी, कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये, जिसका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी उद्योग के भविष्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

जनवरी **2020** के शुरू में, ट्राई ने **2017** के डिजिटल केबल इंटरकनेक्शन रेगुलेशन के लिए एक संशोधन जारी किया ताकि क्षेत्रीय और फ्री–टू–एयर प्रसारकों की शिकायतों के आधार पर डीपीओ द्वारा लिये जाने वाले 'अत्यधिक कैरिज शुल्क' पर अंकुश लगाया जा सके। इस विनियम को लोकप्रिय रूप से एनटीओः **2** के रूप में जाना जाता है। इसने पे चैनलों के ए–लॉ– कार्टे मूल्य को भी कम कर दिया और एनसीएफ फॉर्मूले के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले चैनलों की संख्या को बढ़ाकर **200** कर दिया। इससे मुकदमेबाजी का एक नया दौर शुरू हुआ है जो बंबई उच्च न्यायालय में अंतिम चरण में है। किसी भी तरह से, इस मुकदमेबाजी के **2021** में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने की संभावना है। जब भी यह संशोधन लागू होता है, तो वितरण उद्योग पर इसका मामूली प्रभाव पड़ेगा और प्रसारकों को नयी दरों को समायोजित करना होगा जो अपनी पसंद के चैनलों के चयन और भुगतान करने के लिए ग्राहकों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए तय किये जाते हैं।

पिछले वर्ष के दौरान, ट्राई ने कई मुद्दों को उठाया है, जिन्हें यदि सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो केबल टीवी उद्योग की किस्मत काफी प्रभावित होती। अप्रैल **2020** में ट्राई ने सेट टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी पर एक सिफारिश जारी की। यह अनुशंसा करता है कि सभी सेट टॉप बॉक्स इंटररऑपरेबल होनी चाहिए। ट्राई ने तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाओं को स्वीकार करते हुए सिफारिश की है कि भविष्य की तारीख से इंटरऑपरेबिलिटी को लागू किया जाना चाहिए। इसने सरकार से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि डिजिटल टीवी के बीआईएस विर्निदेश में संशोधन किया जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के सभी डिजिटल टीवी सेट, सैटेलाइट और केबल टीवी प्लेटफार्म के माध्यम से टीवी सामग्री के रिसेप्शन को सक्षम करने के लिए बिल्ट इन ट्यूनर्स के साथ आये।

सरकार के इच्छा शक्ति से पता नहीं चलता है, लेकिन चीन के साथ वर्तमान तनाव और इस तथ्य को देखते हुए कि सौ मिलियन से

been imported from China, it is possible that the industry to face up to the new interoperable reality by 2022. The challenge is how to deal with the fact that over 100 million existing set-top boxes would have to be made interoperable or scrapped. This is a mind-boggling problem for the industry.

In September 2020, TRAI recommended that market forces may be allowed to respond to various situations without any regulatory intervention for OTT platforms. The Government disagreed and issued a gazette notification in November 2020 bringing 'films and audio-visual programmes made by online content providers' and 'news and current affair content on online platforms under the ambit of the MIB. No guidelines have so far been framed, but it is expected to be on self-regulation norms applied by Broadcasters.

In December, Trai circulated its revised recommendations for a short consultation on the Regulation of ground-based platform services which are not satellite-delivered channels nor Foreign TV channels. From 1991, cable has had the benefit of providing hyper-local content through local cable channels. This has been the force multiplier for the industry with vast viewership creating a sticky factor for operators to hold on to their subscriber base against satellite tv channels with greater varied content and marketing pull and in recent past OTT content. Now the MIB wants to put a cap on the total number of platform channels and bring it under the advertising and programming code and make the MSOs and DTH operators responsible for ensuring all government regulations are followed. This will also result in vetting not only of ground-based content but all thousands of local cable operators who have the

अधिक सेट टॉप बॉक्स का **95%** से अधिक चीन से आयात किया गया है, यह संभव है कि उद्योग **2022** तक नयी इंटरऑपरेबिलिटी वास्तविकता का सामना कर सके। चुनौती यह है कि इस तथ्य से कैसे निपटा जाये कि **100** मिलियन से अधिक मौजूदा सेट टॉप बॉक्स को इंटरऑपरेबल या स्क्रैप किया जाना है। यह उद्योग के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है।

सितंबर **2020** में ट्राई ने सिफारिश की कि ओटीटी प्लेटफार्मो के लिए किसी भी नियामक हस्तक्षेप के बिना बाजार की स्थितियों को विभिन्न स्थितियों में जवाब देने की अनुमति दी जाये। सरकार ने असहमति जतायी और नवंबर **2020** में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 'ऑन लाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स' द्वारा बनायी गयी फिल्में और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम और न्यूज व करेंट अफेयर्स' सामग्री को एमआईबी दिशा-निर्देशों के तहत ऑन लाइन प्लेटफार्म पर लाया गया है। लेकिन यह प्रसारकों द्वारा लागू स्व-नियमन मानदंडों पर होने की उम्मीद है।

दिसंबर में, ट्राई ने ग्राउंड आधारित प्लेटफार्म सेवाओं के नियमन पर एक संक्षिप्त परामर्श के लिए अपनी संशोधित सिफारिशों को सर्कुलेट किया, जो न तो सैटेलाइट वितरित चैनल हैं और न ही विदेशी टीवी चैनल। **1991** से, केबल को स्थानीय केबल चैनलों के माध्यम से हाइपर-स्थानीय सामग्री प्रसारित करने का लाभ मिला है। यह उद्योग के लिए बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षिक करने वाला महत्वपूर्ण कारक बना जो कि हाल के दिनों में ओटीटी सामग्री और विभिन्नता से भरे कार्यक्रम व मार्केटिंग के साथ सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ उनके सब्सक्राइबर आधार को बनाये रखने में मददगार साबित हुआ। अब एमआईबी कुल प्लेटफॉर्म चैनलों को सीमित करना चाहता है और इसे विज्ञापन व कार्यक्रम कोड के तहत लाना चाहता है और सभी सरकारी नियमों का पालन करने के लिए एमएसओ और डीटीएच ऑपरेटरो को जिम्मेदार बनाता है। इससे न केवल ग्राउंड आधारित सामग्री को बल्कि सभी हजारों स्थानीय केबल ऑपरेटरों को भी आराम मिलेगा, जिनके पास सरल डाकघर पंजीकरण का लाभ है। यह कैसे काम करेगा, इसे **2021** में देखा जा सकता है।

benefit of simple post office registration. How this will work out remains to be seen in 2021.

India has only one Headend in the Sky Operator (HITS) NXT Digital (Hinduja Group). A key aspect missing in the policy was infrastructure sharing to provide backend infrastructure services to thousands of cable operators in rural and semi-urban areas which has now been allowed by the Government. This will enable small MSOs and ICOs to get high-quality digital services at a fraction of the cost.

As a new year and decade dawn, the future of the satellite and cable industry is bright. Customers want blended services with a combined offering of cable, broadband, home security and cybersecurity on one bill. The satellite and cable industry is now mature and can handle all these requirements easily. ■

भारत में एकमात्र हेडएंड–इन–दॅ–स्काई (हिट्स) ऑपरेटर एनएक्सटी डिजिटल (हिंदूजा समूह) है।

नीति में एक महत्वपूर्ण पहलू जो गायब था वह है बुनियादी ढ़ांचा का साझाकरण था, जो ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में हजारों केबल ऑपरेटरों को बैकएंड संरचना सेवायें प्रदान करती है जिसकी अनुमति अब सरकार द्वारा दी गयी है। इससे छोटे एमएसओ व एलसीओ को बेहद कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवायें मिल सकेंगी।

एक नये साल और दशक के शुरूआत के साथ सैटेलाइट और केबल उद्योग का भविष्य उज्वल है। ग्राहक एक बिल पर केबल, ब्रॉडबैंड, गृह सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के संयुक्त प्रस्ताव के साथ मिश्रित सेवायें चाहते हैं। सैटेलाइट और केबल उद्योग अब परिपक्व हो गया है और इन सभी आवश्यकताओं को आसानी से संभाल सकता है। ■

ABOUT THE AUTHOR

Mr. Ashok Mansukhani has been the Managing Director of M/s. NXTDIGITAL Limited (formerly known as Hinduja Ventures Limited (HVL). Recently, the digital cable business known as 'In Digital' and the Headend in the Sky business known as 'NXT Digital' run so far by its material subsidiary IndusInd Media and Communications Limited has been merged into it by a recent order of the National Company Tribunal.

He is a veteran of the Indian media industry and has over two decades of operational/regulatory and strategic expertise. He has been with the Hinduja Group for more than 24 years handling a variety of functional and corporate responsibilities in Hinduja Media Group.

He has been associated with Indusind Media Communications Limited in various role functions since 1996. He joined as Chief Operating Officer and has worked in Hinduja Media Group in many different capacities.

For two years he was Managing Director of IMCL and HVL. As MD of IMCL, he engineered a massive spread of high-quality digital cable signals to over 2000 additional pin codes in 1000 towns over the length and breadth of Rural India apart from consolidating the In Digital cable networks in urban and metro systems. Currently, he is Non-Executive Vice Chairman of IMCL.

Before that, he served the Government of Indian as an Indian Revenue Service officer for two decades and specialized in corporate taxation, investigation of complex cases and served as Government lawyer on the Income Tax Appellate Tribunal.

He also served Doordarshan as Deputy Director-General for four years in the period 1992-1996 helping Doordarshan to transform itself from a three-channel operation into a multi-language 25 channel operator among the largest in Asia.

Before joining the IRS in 1975, he worked in the Times of India group in various editorial and publishing responsibilities. He is a pioneer TV and radio anchor and worked as youth correspondent in the Central Newsroom of All India Radio.

लेखक के बारे में:

श्री अशोक मनसुखानी, मेसर्स एनएक्सटी डिजिटल लिमिटेड (पूर्व में हिंदुजा वेंचर्स लिमिटेड (एचवीएल) के नाम से ज्ञात) के प्रबंध निदेशक रहे हैं। हालही में इसके डिजिटल केबल व्यवसाय को 'इन डिजिटल' के रूप में जाना जाने लगा है जबकि हेडएंड–इन–दॅ–स्काई व्यवसाय को एनएक्सटी डिजिटल के रूप में जाना जाता है जिसे अभी तक इसकी सामग्री सहायक कंपनी इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन्स लिमिटेड को अभी हाल के राष्ट्रीय कंपनी ट्रिब्यूनल के आदेश द्वारा विलय कर दिया गया है।

वे भारतीय मीडिया उद्योग के अनुभवी हैं और उनके पास दो दशकों से अधिक का परिचालन/नियामक और रणनीतिक विशेषज्ञता है। वह हिंदुजा मीडिया समूह में विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक और कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों को संभालने के लिए **24** से अधिक वर्षो से हिंदुजा समूह के साथ हैं।

वे **1996** से इंडसइंड मीडिया कम्युनिकेशन्स लिमिटेड के साथ विभिन्न भूमिका कार्यो से जुड़े हैं। वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए और हिंदुजा मीडिया समूह में कई अलग–अलग क्षमताओं में काम किया है।

दो साल तक वे आईएमसीएल और एचवीएल के प्रबंध निदेश थे। आईएमसीएल के एमडी के रूप में, उन्होंने शहरी व मेट्रो प्रणालियों में इन डिजिटल केबल नेटवर्क को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण भारत की लंबाई और चौड़ाई में **1000** शहरों में **2000** से अधिक अतिरिक्त पिन कोड के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल केबल सिगनलों का व्यापक प्रसार किया।

वर्तमान में वे आईएमसीएल के गैर–कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले, उन्होंने दो दशकों तक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के रूप में भारत सरकार की सेवा की और कॉर्पोरेट कराधान में विशेषज्ञता हासिल की, जटिल मामलों की जांच की, और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में सरकारी वकील के रूप में सेवा की।

उन्होंने **1992–1996** की अवधि में चार साल के लिए दूरदर्शन के उप–महानिदेशक के रूप में भी काम किया और दूरदर्शन को तीन चैनल से एशिया के सबसे बड़े **25** चैनल ऑपरेटर के रूप में खुद को बदलने में मदद की।

1975 में आईआरएस में शामिल होने से पहले, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में विभिन्न संपादकीय और प्रकाशन की जिम्मेदारियों को संभाला। वे एक अग्रणी टीवी और रेडियो एंकर भी हैं और ऑल इंडिया रेडियो के सेंट्रल न्यूज रूम में युवा संवाददाता के रूप में भी काम किया है।